

**उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ****दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 4185/2026**

प्रमोद कुमार उपाध्याय

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- वीरेंद्र कुमार शुक्ला

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 11**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री वीरेंद्र कुमार शुक्ला तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पाठक तथा परिवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री आलोक कुमार सिंह, जिन्होंने आज न्यायालय में वकालतनामा प्रस्तुत किया है जिसे अभिलेख पर लिया जाता है, को सुना गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. प्रस्तुत आवेदन, आवेदक को वाद अपराध संख्या 459 /2025, भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 316(5), 111(2)(ख) एवं 61(2) के अन्तर्गत, थाना मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ में पंजीकृत मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
3. उपर्युक्त मामला दिनांक 15.11.2025 को दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सूचनाकर्ता ने दिनांक 19.10.2016 को एच.के. इन्फ्रा विजन प्राइवेट लिमिटेड से उसके अधिकृत हस्ताक्षरी विनोद कुमार उपाध्याय (सह-अभियुक्त) के माध्यम से 1250 वर्ग फुट क्षेत्रफल का एक भूखण्ड क्रय किया था, किन्तु उसे उक्त संपत्ति का कब्जा प्रदान नहीं किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से सूचनाकर्ता ने उक्त संपत्ति का कब्जा उसे प्रदान किए जाने की प्रार्थना की थी।
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए कथन से प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि सूचनाकर्ता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को अचल संपत्ति के कब्जे की पुनर्प्राप्ति के लिए वाद के रूप में माना है। पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय की गई अचल संपत्ति का कब्जा प्रदान न किए जाने से संबंधित विवाद मूलतः सिविल प्रकृति का विवाद है। संपत्ति का क्रय किए जाने के बावजूद कब्जा प्राप्त न होने से व्यथित व्यक्ति को, आवश्यक न्यायालय शुल्क का भुगतान किए जाने के पश्चात्, कब्जे की पुनर्प्राप्ति के लिए वाद दायर करना चाहिए था, जिससे प्राप्त न्यायालय शुल्क अंततः व्यापक जनहित में राजस्व के रूप में उपयोगी होता। क्रय की गई भूमि का कब्जा प्रदान किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर, प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सूचनाकर्ता ने आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. जमानत आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र में कहा गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का लंबा आपराधिक इतिहास है, जिसका उल्लेख जमानत आवेदन के प्रस्तर 11 में किया गया है।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **गजानन दत्तात्रेय गोरे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य :** **2025 SCC OnLine SC 1571** के मामले में न्यायालयों को जमानत प्रदान करने वाले आदेशों में ऐसी शर्तें अधिरोपित करने की प्रथा को बंद करने का निर्देश दिया है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश निम्नवत् है:-

“19. इस आदेश के माध्यम से हम यह स्पष्ट करते हैं और इसे निर्देश के रूप में भी निर्धारित करते हैं कि अब से कोई भी विचारण न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय, समुचित अनुतोष प्राप्त करने के उद्देश्य से अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी आश्वासन के आधार पर नियमित जमानत अथवा अग्रिम जमानत प्रदान करने का कोई आदेश पारित नहीं करेगा।”

20. उच्च न्यायालय तथा विचारण न्यायालय, नियमित जमानत अथवा अग्रिम जमानत के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पर मामले के गुण-दोष के आधार पर ही निर्णय करेंगे। इस संबंध में उच्च न्यायालय तथा विचारण न्यायालय, अभियुक्त द्वारा दिए जाने के लिए तैयार अथवा इच्छुक किसी आश्वासन या कथन के आधार पर अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।

21. इस प्रथा को समाप्त किया जाना आवश्यक है। वादकारी न्यायालयों को गुमराह कर रहे हैं और इस प्रकार न्यायालय की गरिमा एवं सम्मान को कमतर कर रहे हैं।

22. हमें आशा और विश्वास है कि देशभर के उच्च न्यायालय तथा विचारण न्यायालय पुनः ऐसी गलती नहीं करेंगे।”

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

यद्यपि उपर्युक्त निर्देश जमानत/अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने वाले आदेशों के संबंध में जारी किए गए हैं, तथापि गजानन दत्तात्रेय गोरे (उपरोक्त) के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की प्रार्थना पर भी समान रूप से लागू होंगे।

7. मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत, मेरा यह मत है कि उपरोक्त तथ्य आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार बनाने हेतु पर्याप्त हैं।

8. तदनुसार, यह जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

9. आवेदक - प्रमोद कुमार उपाध्याय को उपर्युक्त मामले में, संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नवत् शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

जून 15, 2026

आरती/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।